<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 20ए / 17</u> <u>पुराना व्य.वाद.क. 18ए / 07</u> <u>संस्थापन दिनांक:—14 / 01 / 02</u>

- चिन्धू पिता सद्या, उम्र 65 वर्ष निवासी दमुआ, नं. 12, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- 2. रमेश पिता सद्या, उम्र 52 वर्ष निवासी जंबाड़ा, हाल नि. कृषि उपज मंडी, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
- पंजाबराव पिता सद्या, उम्र 49 वर्ष निवासी अमनानी चौक मंडला, तहसील मंडला, जिला मंडला (म.प्र.)
- 4. लच्छू पिता सद्या, उम्र 58 वर्ष निवासी दमुआ, नं. 12, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- 5. श्रीमती सरस्वती बेवा मरक, उम्र 69 वर्ष निवासी बस स्टेंड शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. श्रीमती लक्ष्मी पित गोदन, उम्र 55 वर्ष निवासी कृषि उपज मंडी बडोरा, तहसील बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)
- 7. श्रीमती सजीबाई बेवा सद्या, उम्र 80 वर्ष निवासी जम्बाड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- श्रीमती आशा बेवा हरिलाल, उम्र 52 वर्ष
- 9. विकाश पिता हरिलाल, उम्र 28 वर्ष क. 8 व 9 निवासी लोहिया वार्ड गंज बैतूल, तहसील बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.) ...

<u> वादीगण</u>

वि रू द्ध

- 1. श्रीमती लहजी बेवा डोमरू, उम्र 77 वर्ष
- 2. सुभाष पिता डोमरू, उम्र 43 वर्ष
- 3. किसना पिता डोमरू, उम्र 52 वर्ष

- क. 1 से 3 निवासी सुभाष कातुलकर घुडको कॉलोनी, नारा रोड, एलआयजी क्वार्टर नं. बी / 1287 नागपुर (महा.)
- 4. श्रीमती सरस्वती बेवा किसना, उम्र 48 वर्ष निवासी जरी पटका, बैसाखी टाउन, गोंड मोहल्ला खदान, जरीपटका, नागपुर (महा.)
- 5. राजू पिता डोमरू, उम्र 40 वर्ष **(मृत घोषित)** द्वारा विधिक वारसान
 - अ. श्रीमती हेमलता बेवा राजू, उम्र 42 वर्ष
 - ब. कु. शिवानी पिता राजू, उम्र 16 वर्ष
 - स. कु. नयना पिता राजू, उम्र 13 वर्ष
 - द. कुं. दिव्या पिता राजू, उम्र 10 वर्ष सभी निवासी ग्राम जम्बाड़ा, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. श्रीमती कुसुमबाई पिता डोमरू निवासी ग्राम जम्बाड़ा, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- श्याम पिता डोमरू, उम्र ४९ वर्ष (मृत घोषित) द्वारा विधिक वारसान
 ७४ श्रीमती चंदा बेवा श्याम, उम्र ४५ वर्ष
 १४ कु. बबली पिता श्याम, उम्र ४७ वर्ष
 १४ नेवासी जयप्रकाश वार्ड, गर्ग कॉलोनी बैतुल जिला बैतुल (म.प्र.)
- श्रीमती शान्तीबाई पिता डोमरू, उम्र 57 वर्ष
- 9. श्रीमती कलाबाई पिता डोमरू, उम्र 53 वर्ष क. 8 व 9 द्वारा श्रीमती लहजीबाई पति डोमरू, निवासी जम्बाड़ा, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- 10. श्रीमती शिवरी बेवा डोमरू, उम्र 91 वर्ष द्वारा बेहारी खादीपुरे, निवासी मदनी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 11. गेंदलाल पिता नागो, उम्र 87 वर्ष
- 12. उत्तमसिंह पिता भैय्यालाल, उम्र 62 वर्ष
- 13. कांचनसिंह पिता भैय्यालाल, उम्र 52 वर्ष
- 14. श्रीमती तुलसीबाई बेवा लक्ष्मण सिंह, उम्र 91 वर्ष
- 15. श्रीमती सरस्वती बेवा भैय्यालाल, उम्र 61 वर्ष
- 16. श्रीमती शकून पिता भैय्यालाल
- 17. श्रीमती भागरती पिता भैय्यालाल
- 18. श्रीमती कुसुम पिता भैय्यालाल
- 19. श्रीमती सोनू पिता भैय्यालाल

- 20. घोडू पिता भैय्यालाल
- 21. महादेव पिता विश्वनाथ
- 22. अमरसिंह पिता विश्वनाथ
- 23. श्रीमती अनुसया पिता विश्वनाथ क. 11 से 23 निवासी ग्राम खरपड़ाखेड़ी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 24. सूमेर सिंह पिता घनश्यामसिंह ठाकुर
- 25. श्रीमती विद्याबाई बेवा घनश्याम सिंह ठाकुर द्वारा अमरसिंह पिता विश्वनाथ सिंह, निवासी ग्राम खरपड़ाखेड़ी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 26. रघुवीर पिता लक्ष्मण सिंह, उम्र 67 वर्ष
- 27. शिवदयाल पिता लक्ष्मण सिंह, उम्र 63 वर्ष
- 28. मेहताप सिंह पिता कानसिंह, उम्र 61 वर्ष
- 29. गजेंद्र सिंह पिता घनश्यामसिंह, उम्र 27 वर्ष
- 30. जोगेंद्रसिंह पिता घनश्यामसिंह, उम्र 21 वर्ष
- 31. बलदेव सिंह पिता विश्वनाथ सिंह, उम्र 50 वर्ष
- 32. रतनसिंह पिता विश्वनाथ सिंह, उम्र 37 वर्ष
- मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैत्ल (म.प्र.)
- 34. सुक्कू पिता भजन चौरे, उम्र 62 वर्ष निवासी शोभापुर कॉलोनी, जेरी चौक सारणी, तहसील घोराडोंगरी, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u> -: (निर्णय) :--</u>

(आज दिनांक 19.12.2017 को घोषित)

- 1 वादीगण द्वारा यह दावा ख.नं. 737, 741, 789 कुल रकबा 9.08 एकड़ के स्वत्व की घोषणा तथा ख.नं. 383 रकबा 0.081, ख.नं. 425 रकबा 0.036, ख.नं. 78 रकबा 1.153 हे. के आधे हिस्से स्थित ग्राम जम्बाड़ा तहसील आमला जिला बैतूल (अत्र पश्चात विवादित भूमियों से संबोधित) की स्वत्व घोषणा तथा प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण क. 01 से 09 डोंगरू के वारसान है और वादीगण सद्या के वारसान हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी सद्या एवं उसके भाई डोंगरू की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष रेवाजी थे। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र में अपने अभिवचनों में संशोधन किये जाने के उपरांत उनके परिप्रेक्ष्य में

प्रतिवादीगण के द्वारा कोई भी पारिणामिक संशोधन अपने जवाब दावे में नहीं किया गया है।

- वादी सद्या की ओर से मुख्त्यारआम उनके पुत्र चिन्धू के द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण क. 01 से 10 के नाम विवादित भूमि ख.नं. 383, 425, 737, 741, 78 दर्ज है तथा ख.नं. 789 रकबा 0.809 प्रतिवादीगण क. 11 तथा शेष प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम पर दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क. 02 से 10 के पितामाह रेवाजी के पक्ष में प्रतिवादी क. 11 गेंदलाल तथा प्रतिवादी क. 12 से प्रतिवादी क. 20 के पिता भैययालाल एवं प्रतिवादी क. 20 से 32 के पूर्वज भैययालाल एवं नाबालिक उत्तमसिंह एवं करतार सिंह ने अपने स्वत्व एवं हक की भृमि ख.नं. 655 / 4, (नवीन नं. 737) रकबा 2 एकड़ तथा 657 / 8 एवं 666 / 3 (नवीन नं. 741) रकबा 5.64 एकड़ तथा ख.नं. 657/7 (नवीन नं. 789) रकबा 2 एकड़ कुल रकबा 9.08 एकड वादीगण के पितामाह रेवाजी को दिनांक 15.12.1949 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया था। इसी आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण क. 01 से 10 का नाम ख.नं. 737, 741 में दर्ज है। साथ ही 789 में भी दर्ज होना चाहिए था। वादीगण सदया के वारिश है तथा प्रतिवादी क. 01 से 10 स्व. डोंगरू के वारिश है। इस प्रकार रेवाजी की संपत्ति में वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 से 10 का बराबर का हक है। ख.नं. 737, 741 एवं 789 कूल रकबा 11.08 एकड़ में से 3.69 एकड़ भूमि केसर बाई ने अपने हिस्से को वादीगण के पिता सद्या को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12.04.1974 के माध्यम से विकय किया था जिस पर वादीगण सद्या के वारसान की हैसियत से स्वत्वाधिकारी हैं। विवादित भूमि ख.नं. 383, 425 एवं 78 पर वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 से 10 का शामिलशरीक रूप से नाम दर्ज है जिस पर भी वादीगण और प्रतिवादीगण का बराबर का हक है। चूंकि विवादित भूमियों पर वादीगण का स्वत्व है। अतः उनके द्व ारा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दावा प्रस्तुत किया गया है।
- प्रतिवादी क. 01 व 05 के द्वारा संयुक्त रूप तथा प्रतिवादी क. 04 सरस्वती के द्वारा पृथक से वादी की ओर से प्रस्तुत मूल दावे का लिखित जवाब प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 383, 425, 737, 741, 78 एवं 789 पर स्वत्व एवं आधिपत्य वादीगण का न होकर प्रतिवादीगण का है। विवादित भूमियों का कभी भी मूल पुरूष रेवाजी की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र डोंगरू एवं सद्या के बीच में बंटवारा नहीं हुआ। न ही सद्या ने डोंगरू को वर्ष 1947 में 54 डिसमिल भूमि विकय की थी। वादी का विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई भी स्वत्व नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता डोंगरू ने विवादित भूमि में से 0.54 डिसमिल भूमि को छोड़कर कोई भी भूखंड का वादी के पक्ष में हक त्याग नहीं किया। प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी वादीगण को आधिपत्य से बेदखल नहीं किया गया क्योंकि वादीगण का विवादित भूमि पर आधिपत्य नहीं है। वादीगण ने असत्य आधारों पर दावा प्रस्तुत किया है। अतः सव्यय निरस्त किया

जावे ।

- 5 प्रकरण में प्रतिवादी क. 01 से 05 के वाद प्रश्न स्थिरीकरण के उपरांत आगामी प्रक्रमों पर अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 6 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :--

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण मौजा जम्बाड़ा, तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 383, 425, 737, 741, 78, 789 रकबा क्रमशः 0.081, 0.036, 0.809, 2.865, 1.153, 0.809 की भूमि के एकमात्र स्वामी है ?	
2.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप कर सम्पत्ति के अंतरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, यदि हो तो प्रभाव ?	
3.	सहायता एवं वाद व्यय ?	
4.	अतिरिक्त वाद प्रश्न क्या प्रतिवादी क. 01 से 10 के द्वारा विवादित भूमि का दिनांक 15.01.2014 को प्रतिवादी सुक्कू चौरे को किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के हक के विपरीत होकर अवैध एवं शून्य है ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

7 वादी चिंधू (वा.सा.—1) के द्वारा अपने वाद पत्र में एवं मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह बताया गया है कि विवादित भूमियां ग्राम जंबाड़ा में स्थित है। विवादित भूमि में से खसरा नंबर 665/4 रकबा 2 एकड़ तथा ख.नं. 657/8 एवं 666/3 रकबा 7.08 एकड़ वादीगण एवं प्रतिवादी क. 02 से 10 के दादा रेवाजी के द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से प्रतिवादी क. 11 से 32 के पूर्वजों से दिनांक 15.12.1949 में क्य की गयी थी। क्य किये गये ख.नं. 665/4 से नया

नंबर 737 तथा ख.नं. 657/8 एवं 666/3 से नवीन नंबर 741 बना और इन्हीं नंबरों पर वादी एवं प्रतिवादीगण क. 02 से 10 का नाम संयुक्त शामिलाती रूप से दर्ज है। वादीगण के पिता सद्या ने ख.नं. 789 रकबा 0.809 हे. भूमि रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.1974 के माध्यम से केंसर बाई से क्रय की थी जिस पर वादीगण का क्रय दिनांक से आधिपत्य है तथा यह भूमि वादीगण के पिता सद्या की स्वअर्जित होने के कारण वादीगण का उपर्युक्त भूमि पर स्वत्व है। अन्य विवादित भूमि ख.नं. 383, 425 एवं 78 वादी एवं प्रतिवादी क. 01 से 10 की खानदानी कृषि भूमि होकर उनके नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज है जिसके आधे भाग के वादीगण स्वत्वाधिकारी हैं। वादी चिंधू के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी क. 01 से 10 ने विवादित भूमि ख.नं. 741 में से लगभग साढ़े चार एकड़ भूमि सुक्कू चौरे को विक्रय पत्र दिनांक 05.01. 2014 के माध्यम से विक्रय कर दी है। इसी आधार पर प्रतिवादी सुक्कू चौरे वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहा है।

- वादी साक्षी महादेव (वा.सा.—2) ने भी अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह बताया है कि विवादित भूमि ख.नं. 789 रकबा 0.809 हे. सद्या के द्वारा केसरबाई से क्य की गयी। क्य दिनांक से ही वादीगण के पिता सद्या काबिज रहे तथा ख.नं. 737 एवं 741 रेवाजी के द्वारा दिनांक 15.12.1949 को क्य की गयी तथा अन्य विवादित भूमि ख.नं. 78, 383 एवं 425 वादी एवं प्रतिवादी क. 01 से 10 की खानदानी भूमि है जो कि पहले रेवाजी के नाम पर थी। उनकी मृत्यु उपरांत उनके पुत्र सद्या एवं डोंगरू के नाम पर आयी। तत्पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर शामिलाती दर्ज है।
- वादी के द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 15.12.1949 की सत्यप्रतिलिपि (प्रदर्श पी-6) प्रस्तृत की गयी है जिसके अवलोकन से रेवाजी के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 655/4, 657/8, 666/3 भैययालाल, गेंदलाल, रामदीन से क्य की जाना प्रकट होती है। साथ ही दस्तावेज मिसल बंदोबस्त वर्ष 1917-18 के अवलोकन से विवादित भूमि खसरा नंबर 655, 657 एवं 666 नागोबा वल्द घासीराम के नाम पद दर्ज होना प्रकट हो रही है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से खसरा नंबर 655 / 4 का नवीन नंबर 737 एवं 657 / 8 एवं 666 / 3 से नवीन नंबर 741 बनना प्रकट हो रहा है। साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त रुप से दर्ज होना भी प्रकटा हो रहा है। इसके अलावा उपर्युक्त खसरा नंबरों के अंतिरिक्त खसरा नंबर 383 एवं 425 भी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रहा है। साथ ही दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016–17 (प्रदर्श पी-7) प्रस्तृत किया है जिसके अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 383, 425, 737, 741 / 1, 741 / 2 कुल रकबा 3.791 हे. प्रतिवादी क. 01 से 10 एवं वादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रहा है। स्पष्टतः अभिलेख पर संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से खसरा नंबर 655/4 से नवीन नंबर 737 एवं 657/8 तथा 666/3 से नवीन नंबर 741 बनना तथा उपर्युक्त भूमियों को

वादी एवपं प्रतिवादीगण के दादा रेवाजी के द्वारा क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। तत्पश्चात् उपर्युक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर आना प्रकट हो रही हैं। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 383 एवं 425 भी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज होकर उनके स्वत्व की प्रकट हो रही हैं। विवादित भूमियां खसरा नंबर 383, 245, 737, 741 संयुक्त खाते में दर्ज होने से उपर्युक्त भूमियों को वादीणग एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 10 की संयुक्त स्वामित्व की भूमियां होने के संबंध में निष्कर्ष निकाल जा सकता है।

वादी के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 78 की भूमि के आधे भाग पर स्वत्व की घोषणा इस आधार पर चाही गयी है कि उपर्युक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क. 01 से 10 की खानदानी भूमि है परंतु वादी के द्वारा उपर्युक्त भूमी के संबंध में न तो कोई स्पष्ट अभिवचन किये गये हैं और न ही ऐसी कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि ख.नं. 78 वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि हो। अर्थात वादीगण के द्वारा उपर्युक्त भूमि के स्वत्व के स्त्रोत के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि यह भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों अर्थात उनके दादा रेवाजी तत्पश्चात उसके पिता सद्या के नाम पर आयी हो। साथ ही ऐसे भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि वर्तमान में उपर्युक्त विवादित भूमि ख.नं. 78 पर वादी का नाम प्रतिवादी क. 01 से 10 के साथ संयुक्त शामिलाती रूप से दर्ज हो। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि ख.नं. 78 वादीगण की खानदानी भूमि होना एवं उस पर वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ आधे भाग का स्वत्व होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

वादी के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 789 रकब 3.69 एकड़ (0.809 हे.) विक्रय पत्र दिनांक 12.04.1974 के माध्यम से केसरबाई से क्रय किया जाना बताया है परंतु विक्रय पत्र दिनांक 12.04.1974 के अवलोकन से ख.नं. 655/4, 657/8, 666 / 3, 157 / 7 कूल रकबा 11.08 एकड़ में से 1 / 3 भाग (रकबा 3.69 एकड़) का विक्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। वादी ने उपर्युक्त विक्रय पत्र के माध्यम से ख.नं. 789 रकबा 3.69 एकड़ की स्वत्व घोषणा चाही है परंतु विक्रय पत्र दिनांक 12.07.1974 में उल्लेखित भूमियों से मात्र एक खसरा नंबर 789 निर्मित होना संभव नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र के अवलोकन से ही यह प्रकट हो रहा है कि उसमें लेख खसरा नंबरों की भूमियों में से 1/3 भाग अर्थात 3.69 एकड़ की भूमि विकेता केसरबाई के द्वारा विकय की गयी। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 (प्रदर्श पी-10) के अवलोकन से खंसरा नंबर 789 रकबा 0. 809 हे, (2 एकड) खसरा नंबर 657/7 से निर्मित होना एवं दामोदर सिंह भैयालाल, गेंदलाल एवं अन्य के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त विक्रय पत्र के आधार पर यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वादीगण के पिता सद्या के द्वारा ख.नं. 789 रकबा 3.69 एकड़ भूमि क्रय की गयी। विक्रय पत्र दिनांक 12.04.1974 में कई खसरा नंबर की भूमियां लेख हैं जिसमें से विक्रेता के द्व ारा अपने एक तिहाई हिस्से का विकय किया जाना प्रकट हो रहा है और उपर्युक्त

विक्रय पत्र में लेख समस्त भूमियों में से मात्र ख.नं. 789 का निर्मित होना वादी प्रमाणित नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 12.04.1974 के आधार पर वादी के पिता सद्या का ख.नं. 789 रकबा 3.69 एकड़ पर स्वत्व प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जब केता सद्या का ही उपर्युक्त विक्रय पत्र के आधार पर ख.नं. 789 का स्वत्व होना प्रमाणित नहीं हुआ है, तब सद्या के वारसान वादीगण का भी ख.नं. 789 पर एकमात्र स्वत्व प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

12 अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि विवादित भूमि खसरा नंबर 383, 425, 737, 741 (741/1 एवं 741/2) वादीगण एवं प्रतिवादीगण कमांक 01 से 10 के संयुक्त स्वामित्व की भूमियां हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा रेवाजी के दो पुत्र सद्या एवं डोमरु थे। वादीगण सद्या के तथा प्रतिवादी कमांक 01 से 10 डोमरु के वारसान हैं। अतः प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में संयुक्त स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 383, 425, 737, 741 (741/1 एवं 741/2) रकबा कमशः 0.081 हे. 0.036 हे., 0.809 हे. एवं 1.045 हे. तथा 1.820 हे. पर वादीगण संयुक्त रुप से 1/2 अंश तथा प्रतिवादी कमांक 01 से 10 1/2 अंश के स्वत्वाधिकारी होंगे। उपर्युक्त साक्ष्य विवेचना अनुसार वादीगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि खसरा नंबर 383, 425, 737, 741 के संयुक्त रुप से आधे अंश के स्वत्वाधिकारी है, परंतु वादीगण खसरा नंबर 78 एवं 789 पर अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं उपर्युक्तानुसार वाद प्रश्न कमांक 01 निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

वादी के द्वारा वादपत्र में तथा मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह बताया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 10 ने वाद लंबन के दौरान प्रतिवादी सुक्कु चौरे को विवादित भूमि खसरा नंबर 741 में से 1.820 हे. का विक्रय कर दिया है। साथ ही वादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी सुक्कु चौरे को विवादित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2014 (प्रदर्श पी—4) प्रस्तुत किया है। जिसके अवलोकन से प्रतिवादी क्रमांक 01 से 10 द्वारा प्रतिवदी सुक्कु चौरे को विवादित भूमि खसरा नंबर 741 कुल रकबा 2.865 हें. में से 1.820 हे. भूमि का विक्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। स्पष्टतः प्रतिवादीगण के द्वारा संयुक्त स्वामित्व की भूमि का विक्रय कर हस्तक्षेप किया गया। अतः वादी प्रतिवादीगण को अंतरण से निषेधित किए जाने के संबंध में उनके विरुद्ध निशेधज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः वाद प्रश्न क. 02 "हाँ" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

14 वादीगण के द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 741 का प्रतिवदी सुक्कू चौरे को विक्रय किया

गया। चूंकि विवादित भूमि के वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्षानुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 10 का संयुक्त रुप से आधे—आधे भाग अंश का स्वत्वाधिकारी होना प्रमाणित पाया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 10 के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2014 (प्रदर्श पी—4) प्रतिवादी क्रमांक 34 सुक्कु चौरे के पक्ष में निष्पादित किया गया है। विक्रय किए जाने वाली भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य की भूमि थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 10 केवल अपने हक तक का ही विक्रय प्रतिवादी क्रमांक 34 को कर सकते थे। प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 10 द्वारा उनकी हक की सीमा से अधिक किया गया विक्रय वादीगण पर बंधनकारी नहीं होगा, ना ही उक्त विक्रय से उनके अधिकार प्रभावित होंगे। अतः उक्त विक्रय पत्र दिनांक 15.01.014 जहां तक वादीगण के हक के विपरीत है, शून्य एवं निष्प्रभावी होगा। तदानुसार वाद प्रश्न क. 04 "हाँ" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

- उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 383, 425, 737 एवं 741 पर वादीगण का संयुक्त रुप से आधे अंश का स्वत्वाधिकारी होना प्रमाणित पाया गय है, परंतु वादीगण खसरा नंबर 78 एवं 789 पर अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निशेधज्ञा पाने के भी अधिकारी पाए गए हैं। प्रतिवादी क्रमांक 34 सुक्कु चौरे को प्रतिवादीगण द्वारा अविभाजित संपत्ति का विक्रय किया गया है। अतः यदि प्रतिवादी क्रमांक 34 सुक्कु चौरे चाहे तो स्वयं का हिस्सा पृथक करा सकता है तथा विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2014 की प्रतिपूर्ति प्रतिवादीगण के हिस्से से कर सकता है, किन्तु विवादित भूमि में हस्तक्षेप का उसे कोई अधिकार नहीं है। परिणामतः वाद आंशिक रुप से स्वीकार कर निम्न आशय का आदेश पारित किया जाता है।
 - 1. वादीगण विवादित भूमि स्थित ग्राम जंबाडा तहसील आमला खसरा नंबर 383, 425, 737, 741 (741/1 एवं 741/2) रकबा क्रमशः 0.081 हे. 0.036 हे., 0.809 हे. एवं (1.045 हे. तथा 1.820 हे.) के संयुक्त रुप से आधे अंश के स्वत्वाधिकारी हैं।
 - 2. प्रतिवादी क्रमांक 01 से 10 को विवादित भूमि के अंतरण से निषेधित किया जाता है।
 - 3. विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2014 जहां तक वादीगण के हक व हित के विपरीत है, शून्य व निष्प्रभावी है।
 - 4. प्रतिवादी क्रमांक 34 सुक्कु चौरे को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित भूमि में वादीगण के आधिपत्य में स्वयं अथवा अभिकर्ता के माध्यम से हस्तक्षेप ना करें।
 - प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी वाद का

व्यय स्वयं वहन करेगा।

4. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) आमला, जिला बैतूल